चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

अनुस्मारक

पत्रांक : पी0ए0/1639
दिनांक : 27.06.2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव,
समस्त सम्बद्ध विधि महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2024–25 में प्रवेश हेतु प्रदत्त अनुमति पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांकः–पी0ए0/1615 दिनांक 21.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट जिसके द्वारा आपके महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विधि पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु **भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2024–25 प्रदत्त अनुमति पत्र के साथ ही विधि पाठ्यक्रम में बन्धक एफ0डी0आर0 की रंगीन प्रति के साथ ही अपने महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षकों के अनुमोदन पत्र, प्रबन्ध समिति का अनुमोदन पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र, ABACUS पोर्टल पर संस्थान का डाटा अपलोडट करने का प्रमाण पत्र तथा AISHE के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सहित समस्त अभिलेख दिनांक 28.06.2024 तक कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था कतिपय महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा आज दिनांक तक भी वांछित अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये है, जो कि खेद का विषय है तथा विश्वविद्यालय के आदेशों की अवेहलना है।**

अतः उक्त क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विधि पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु **भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2024–25 प्रदत्त अनुमति पत्र के साथ ही विधि पाठ्यक्रम में बन्धक एफ0डी0आर0 की रंगीन प्रति के साथ ही अपने महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षकों के अनुमोदन पत्र, प्रबन्ध समिति का अनुमोदन पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र, ABACUS पोर्टल पर संस्थान का डाटा अपलोडट करने का प्रमाण पत्र तथा AISHE के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सहित समस्त अभिलेख दिनांक 03.07.2024 तक कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत करें**, यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित अभिलेख उपलब्ध नही कराये जाते है तो विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय/संस्थान का नाम शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर प्रेषित नही किया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव का होगा।

अतः उपरोक्त आदेशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया जी के सूचनार्थ।
02. प्रधान सहायक सम्बद्धता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
03. प्रभारी बेवसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

27-6-2024

कुलसचिव